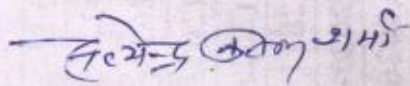
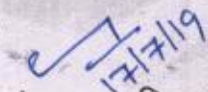


## क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीवान एवं गोपालपुर जिला अन्तर्गत NH-109 खोठीपाकर मुहम्मदपुर (45.00-65-140 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 14.098 हे० वन भूमि अपयोजन के विरुद्ध 28.126 हे० अर्थात् 29.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि के क्षतिपूरक हेतु प्राक्कलन सासाराम वन प्रक्षेत्र के दरिगाँव बीट के अन्तर्गत मौजा घरबैर सुरक्षित वन थाना नं०-306, खेसरा नं०-630, कुल रकवा 32 हे० एवं शुद्ध रकवा 29 हे० क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपयुक्त है।



वनो के क्षेत्र पदाधिकारी,  
सासाराम वन प्रक्षेत्र।



वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम